न्यायालय कार्यपालक दंडाधिकारी, बुण्डू (राँची)

सहदेव महतो बनाम गौर मोहन पाण्डे

M 51/2014 (u/s 145 crpc)

आदेश

12.02.18 प्रश्नगत विवादित भूमि मौजा - गोमदा, थाना सोनाहातु के खाता नं० 139 के plot 23 के रकबा 8.45 एकड़ मध्ये 50डी० तथा plot 24 के रकबा 58.96 एकड़ मध्ये 40डी० कुल 90 डी० पर उभय पक्षों के बीच उत्पन्न शांति भंग की सम्भावना के मद्देनजर धारा 145 crpc के अन्तर्गत नोटिस उभय पक्षों को निर्गत की गई। उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित कथन दाखिल कर गवाहों का बयान दर्ज कराया तथा बहस कर लिखित बहस भी दाखिल किया।

प्रथम पक्ष के कथनानुसार विपक्षी गौर मोहन पाण्डे वो. महेन्द्र पाण्डे s/o दिगम्बर पाण्डे ने दिनांक 11.4.1980 को मो.बलिक 1200 रुपये में खाता नं० 139 के plot 23 के 40डी० तथा plot 24 के 40डी० भूमि तथा पुनः 10.2.1982 को K 139 के plot 23 के 10डी० भूमि मोबलिक 200 रुपये प्रथम पक्ष से लेकर प्रथम पक्ष के हित में दखलनामा दे दिया है तथा प्रथम पक्ष प्रश्नगत विवादित भूमि पर उक्त दखलनामा के आधार पर दखलकार है। प्रश्नगत भूमि की चौहद्दी N - सहदेव महतो, दक्षिण - plot 23 का बड़ा अंश, E - सहदेव महतो तथा W - plot 24 का बड़ा अंश है। प्रश्नगत विवादित भूमि प्रथम पक्ष की खरीदगी भूमि Khata - 99 के plot 12 के 1.17 एकड़ भूमि है जिसे विपक्षी से निबंधित बैनामा पट्टा से प्राप्त किया है। खरीदगी भूमि से सटे दखलनामा से प्राप्त भूमि को कठिन मेहनत तथा रुपये खर्च कर खेत बना... । विपक्षीगण ने रकबा अधिक दखल करने की बात उठाकर विवाद किया जिस पर ग्राम पंचायत ओकाद ने पंचायती कर प्रथम पक्ष के हित में फैसला सुनाया तथा सुलहनामा तैयार किया जिस पर विपक्षीगण का भी हस्ताक्षर/निशानी है। सर्वे सेटलमेंट में प्रथम पक्ष के दखलकब्जा तथा वर्ष 1987 से ... बड़ा पर्चा प्रथम पक्ष के हित में बना है तथा सर्वे कागजात के आधार पर नया खाता 283, plot 20 तथा 21 प्रथम पक्ष के का खाता 139 बदलकर बना है। विपक्षी की माता जलेश्वरी देवी ने सर्वे सेटलमेंट धारा 83 के तहत आपत्ति आवेदन दिया था जो अस्वीकृत हो गई थी। अपने कथन के समर्थन में दखलनामा, निबंधित पट्टा से क्रय की भूमि की छायाप्रति, दाखिल बड़ा पर्चा तथा आपत्ति आवेदन अस्वीकृत होने की छायाप्रति दाखिल किया है। वर्ष 2016 में प्रथम पक्ष के मकान से निकलने वाले दक्षिण दिशा के रास्ते एवं कुँआ पानी लाने वाली रास्ता को बंद कर दिया विपक्षी ने जिसके विरुद्ध धारा 147 crpc अन्तर्गत कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

विपक्षी के कथनानुसार प्रश्नगत विवादित भूमि खतियान में दर्ज है खाता नं० 139 गैरमजुरूआ खास भूमि रकबा 3.12 Acre विपक्षीगणों के Khata 99 के plot 12 के भूमि कायमी रैयती भूमि है जो प्रश्नगत विवादित भूमि के Adjecent है तथा इस आधार पर plot 23 के रकबा 50डी

U/s 145 ...

K-139 P-12 A 3.12A

1974 / 1975 R-99

विपक्षीयो का Right of Possession तथा Plot 24 के रकबा 40 डी० पर निबंधित केवाला से यह बात कही है कि विपक्षीयो ने तीन प्रथम पक्ष को बिक्री किया है। विपक्षी के Khata 99 के 1.17 Acre भूमि प्रथम पक्ष को दखलकार हुऐ तथा उनकी मृत्यु के बाद से प्रश्नगत विवादित भूमि पर दखल है। प्रश्नगत विवादित भूमि का खतियान के पश्चात विपक्षी के दखल में है। प्रश्नगत विवादित भूमि अनाबाद सरकार के नाम से पर्चा बना है। अपने कथन के समर्थन में वंडा पर्चा की प्रति दाखिल किया है।

उभयपक्षो बहस किया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया। उभयपक्षो का कागजात देखा तथा बहस सुना। प्रथम पक्ष ने बहस में कहा कि प्रथम पक्ष Khata 99, Plot 12 के 1.17 एकड़ रैयती भूमि विपक्षीगण से खरीदगी के पश्चात तथा विपक्षी के द्वारा दखलनामा से प्राप्त Khata 139 की 90 डी० पर अपने दखल की बात कहते है जिसके समर्थन में वंडा पर्चा भी दाखिल किया है अपने लिखित बहस के Para 24 में प्रथम पक्ष के दखल की बात कही है जबकि Para 25 में विपक्षी के गवाह के बयान से प्रथम पक्ष के दखलकार होने की बात कही गई है। विपक्षी ने अपने बहस में कहा कि विपक्षी अपने रैयती जमीन के Adjecent प्रश्नगत विवादित भूमि जो गैर मजरूआ खास भूमि होने के आधार पर acquiring right of Possession है तथा उनके पूर्वजो के समय से ही दखलकार है। प्रथम पक्ष का यह कथन सही नहीं है कि प्रश्नगत भूमि उन्हे विपक्षी से दखलनामा से प्राप्त है क्योंकि Transfer of Property Act के तहत दखलनामा का नहीं है। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता ने इस तथ्य का खंडन करते हुऐ कहा कि किस आधार पर विपक्षीगण ने विवादित प्रथम पक्ष को दखलनामा पत्र दिया तथा उनके दखल पर विवाद करते है।

प्रश्नगत विवादित भूमि खाता नं० 139 सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास दर्ज है जिसपर उभयपक्ष अपने रैयती भूमि से सटे होने के आधार पर तथा अपने खेती लायक बनाकर तथा रैयती भूमि में मिलाकर दखल का दावा करते है। स्पष्टतया प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है तथा उभयपक्षो का दखल का औचित्य नहीं है। सरकारी भूमि का देखरेख तथा संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की ओर से सम्बंधित अंचलाधिकारी की है। तदनुसार अंचलाधिकारी सोनाहातु को निर्देशित किया जाता है कि अवैध दखलकारो को चिन्हीत करते हुए उन्हे सरकारी भूमि से मुक्त कराया जाय अथवा नियमानुसार विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कारवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दंडाधिकारी

बुण्डू (रांची)

18/2/18

ह०

कार्यपालक दंडाधिकारी

बुण्डू (रांची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:54:37 +05:30
Location: 10.93.79.10